



कार्यालय, परियोजना निदेशक, आत्मा, पूर्वी सिंहभूम।

संयुक्त कृषि चयन, खारसमहल, जमशेदपुर-831002
(Email- atmajsr321@gmail.com, web=atmapurbisinghbhum.org.in)

किसान भाईयों के लिए आवश्यक सूचना

पूर्वी सिंहभूम जिला के किसान भाईयों को सूचित किया जाता है कि जिले में सिंचाई जल के स्रोत मुख्यतः छोटे मौसमी नदी, नाले, झरने, तालाब तथा कूपर इत्यादि में उपलब्ध जल स्रोतों के ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार के द्वारा सौर ऊर्जा चालित सिंचाई इकाईयों की स्थापना की योजना की मुख्य विशेषताएँ :-

- 1) इस योजना के अन्तर्गत दो तरह की सिंचाई इकाईयों की स्थापना / वितरण का प्रावधान है :-
- A. 5 Hp सतही सौर ऊर्जा आधारित पम्पसेट उद्वह सिंचाई इकाई
- B. 2 Hp सतही सौर ऊर्जा आधारित पम्पसेट चलत सिंचाई इकाई
- 2) योजना में सरकार निर्धारित न्यूनतम दर पर 90 प्रतिशत तक अनुदान देगी एवं 10 प्रतिशत अंशदान लाभको द्वारा दिया जायेगा।
- 3) योजना के अन्तर्गत लाभको का चयन ऑनलाईन आवेदन प्रक्रिया के आधार पर किया जाएगा।

किसान समृद्धि योजना अन्तर्गत सौर ऊर्जा चालित दो तरह की सिंचाई इकाईयों की स्थापना / वितरण किया जायेगा :-

- A. 5HP सतही सौर ऊर्जा आधारित पम्पसेट उद्वह सिंचाई इकाई :-
इसके अन्तर्गत नदी, नाले, तालाब, चेकडैम, बड़े कूप जैसे जल स्रोत जहाँ प्रायः सालों भर पर्याप्त मात्रा में सिंचाई जल उपलब्ध रहता है, पर 5 Hp क्षमता के सौर ऊर्जा चालित सतही पम्पसेट आधारित छोटे उद्वह सिंचाई इकाई स्थापित किये जायेंगे जिनकी सिंचाई क्षमता लगभग 05 एकड़ होगी, इस उद्वह सिंचाई इकाईयों की स्थापना एकल / सामूहिक इकाई के रूप में की जाएगी।
- B. 2HP सतही सौर ऊर्जा आधारित पम्पसेट चलत सिंचाई इकाई :-

इसके अन्तर्गत नदी, नाले, तालाब, चेकडैम, कूप जैसे जल स्रोत जहाँ प्रायः सालों भर पर्याप्त मात्रा में सिंचाई जल उपलब्ध रहता है, पर 2 Hp क्षमता के सौर ऊर्जा चालित सतही पम्पसेट आधारित चलत सिंचाई इकाई किसानों को प्रदान किये जायेंगे जिसकी सिंचाई क्षमता लगभग 01 एकड़ होगी। इस प्रकार की सिंचाई इकाईयों द्वारा की उपर अवस्थित होगी और जो किसानों को व्यक्तिगत स्तर पर उपयोग के लिये प्रदान की जाएगी।

आवेदक की पात्रता एवं आवेदन की प्रक्रिया :-

- (क) कृषक समूह / स्वयं सहायता समूह / FPO/FPC/Co-Opera VES की ओर से समूह / संस्था के अध्यक्ष / सक्षम पदाधिकारी आवेदन कर सकते हैं।
- (ख) आवेदक किसान / अध्यक्ष / सक्षम पदाधिकारी का आधार / राशन कार्ड का e-KYC होगा।
- (ग) आवेदन में FPO/FPC/LAMPS/PACS के User Group लाभको की विवरणी देनी होगी।
- (घ) किसान / समूह / संस्था यह सुनिश्चित करेंगे कि आवेदकों की भूमि जल स्रोत के पास में ही हो। अन्यथा भूमि निरीक्षण के दौरान आवेदन सही नहीं पाये जाने पर आवेदन निरस्त किया जा सकता है।

पात्रता :-

- > व्यक्तिगत किसान / कृषक समूह FPO/FPC/LAMPS/PACS के सदस्य / शेरर होल्डर-झारखण्ड राज्य का स्थानीय होना चाहिए।
- > कृषक समूह / महिला स्वयं सहायता समूह (JSLLPS पंजीकृत) / FPO/FPC/LAMPS/PACS का पंजीकृत कार्यालय-झारखण्ड राज्य में होना चाहिए।
- > किसान / सदस्य / शेरर होल्डर की आयु 18 वर्ष में अधिक होनी चाहिए।
- > किसान / सदस्य / शेरर होल्डर के पास वेब आधार नम्बर होना चाहिए।
- > एक परिवार से एक ही सदस्य पात्र होंगे।
- > किसान / परिवार / समूह के सदस्य के पास जल स्रोत एवं जमीन होने का प्रमाण होना चाहिए।
- > आधार लिंकड मोबाईल नम्बर होना चाहिए।

निम्नलिखित श्रेणी के आवेदक इस योजना के पात्र नहीं होंगे :-

- > बटाईदार किसान / परिवार में कोई सैद्धान्तिक पद पर हो / राज्य एवं केन्द्र सरकार / पी0एस्0यू0 / सरकारी, स्वायत्त निकायों के सेवारत या सेवा निवृत्त अधिकारी एवं कर्मचारी / डॉक्टर / इंजीनीयर / सी0ए0 / अकिटेक्ट्स / वकील जैसे प्रोफेशनल्स / सरकारी कर्मी (चतुर्थ वर्गीय कर्मी को छोड़कर) / जिसको अन्य किसी विभाग / संस्था से समरूप सिंचाई योजना से आच्छादित लाभुक एव उनके परिवार / काली सूची में दर्ज किसान उत्पादक समूह / किसान उत्पादक कम्पनी सहकारी समिति।

आवेदन के साथ आवश्यक दस्तावेज :-

- (क) व्यक्तिगत किसान इस योजना के लिए निम्नलिखित दस्तावेज योजना के पोर्टल पर ऑनलाईन अपलोड करने होंगे :-
 - a) जमीन का मालगुजारी रसीद
 - b) वंशावली का शपथ पत्र / JRFRY से अनुबंधित किसान
 - c) आधार कार्ड का फोटो कॉपी
 - d) बैंक पासबुक का फोटो कॉपी
 - e) आधार कार्ड लिंकड मोबाईल नम्बर
 - f) आधार लिंकड राशन कार्ड नम्बर

(ख) SHGs/FPO/FPC/LAMPS/PACS के लिए निम्नलिखित दस्तावेज योजना के पोर्टल पर ऑनलाईन अपलोड करने होंगे :-

- a) संस्था पंजीकरण का प्रमाण-पत्र
- b) अध्यक्ष / सक्षम पदाधिकारी का आधार कार्ड तथा आधार लिंक मोबाईल नं0
- c) यूजर ग्रुप के सदस्यों का आधार कार्ड
- d) जिस भूमि के लिए आवेदन किया गया है, उस भूमि का मालगुजारी रसीद
- e) संस्था का बैंक खाता

आवेदन एवं लाभुक चयन की प्रक्रिया :-

- > पात्र आवेदक अपना आवेदन दिये गये आवेदन प्रपत्र (क, ख, एव ग) में सारी वांछित जानकारी भरेंगे। अलग-अलग प्रकार के आवेदक के लिए अलग-अलग आवेदन प्रपत्र भरे जायेंगे।
- > आवेदक आवेदन करने के लिए योजना के पोर्टल से आवेदन पत्र डाउनलोड करेंगे।
- > डाउनलोड आवेदन पत्र को आवेदक द्वारा भरा जायेगा। आवेदन पत्र भरने के उपरान्त ग्राम समा द्वारा अनुमोदन कराना होगा।
- > ग्राम समा द्वारा अनुमोदित आवेदन तथा वांछित दस्तावेजों के साथ आवेदक को अपने नजदीकी CSC (प्रज्ञा केन्द्र / लेगस/पैक्स) या अन्य केन्द्र में जाकर ऑनलाईन आवेदन की प्रक्रिया पूरी करनी होगी तथा आवेदक को CSC हेतु निर्धारित सेवा शुल्क का वहन करना होगा।
- > CSC (प्रज्ञा केन्द्र / लेगस/पैक्स) द्वारा आवेदकों की सारी जानकारी पोर्टल पर ऑनलाईन भरी जायेगी तथा वांछित दस्तावेजों को भी अपलोड करना होगा। साथ ही आवेदक अपना आधार तथा राशन कार्ड आधारित e-KYC करवेंगे।
- > ऑनलाईन आवेदन की प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरान्त आवेदक को रसीद / पंजीकरण संख्या प्रदान की जायेगी, जो कि भविष्य में Reference के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है।
- > अनुमोदन प्राप्त लाभको को 07 दिनों के अन्दर Escrow Account बैंक में खुलवाना होगा तथा लाभुक अंशदान की 10 प्रतिशत राशि Escrow Account में जमा करना होगा।
- > प्रखण्डवार लक्ष्य का निर्धारण एवं योजना अन्तर्गत 90 प्रतिशत अनुदान की राशि का निर्धारण से संबंधित कार्रवाई की जा रही है। कार्रवाई पूर्ण होते ही प्रखण्ड हेतु निर्धारित लक्ष्य एवं कृषक अंशदान की राशि से अवनत कराया जायेगा।

योजना के अधिक जानकारी/प्रपत्र हेतु आत्मा, पूर्वी सिंहभूम के वेबसाइट (www.afmapurbisinghbhum.org.in) तथा संबंधित प्रखण्ड के प्रखण्ड तकनीकी प्रबंधक/सहायक तकनीकी प्रबंधक से कार्यालय अधि में सम्पर्क कर प्राप्त किया जा सकता है।